

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।
टेलीफोन :- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/ बजट घोषणा/18/84/13-304 दिनांक :- 05/12/18

आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय :- बजट घोषणा वर्ष 2018-19 RUIRP-II अन्तर्गत सड़क-नाली की मरम्मत एवं पुनरुद्धार के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट "Online Google Drive" प्रपत्रों में अपडेट करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- विभागीय पूर्व पत्रांक 37387-578 दिनांक 11.05.2018, 37906-939 दिनांक 15.05.2018, 41300-307 दिनांक 28.05.2018, 65099-109 दिनांक 27.07.2018, 67955-68146 दिनांक 06.08.2018, 76687-693 दिनांक 01.10.2018 एवं 81383-517 दिनांक 25.10.2018 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि बजट घोषणा वर्ष 2018-19 RUIRP-II अन्तर्गत कार्यों की प्रगति रिपोर्ट बाबत "Online Google Drive" बनाई हुई है।

निदेशालय द्वारा गूगल ड्राईव पर प्रत्येक गुरुवार को प्रगति रिपोर्ट अपडेट किये जाने हेतु समय-समय पर निर्देशित किया जा चुका है तथा निदेशालय में समस्त निकायों के सम्बन्धित स्टाफ को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है, परन्तु आज दिनांक तक आपके द्वारा सड़क पुनरुद्धार/मरम्मत के कार्यों की वर्तमान प्रगति रिपोर्ट गुगल ड्राईव पर सड़क निर्माण/पुनरुद्धार के चारों प्रपत्रों में अपडेट नहीं करवाई गई है।

अतः आप स्वयं तीन दिवस में RUIRP-II के कार्यों की गुगल ड्राईव पर सड़क निर्माण/पुनरुद्धार के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट चारों प्रपत्रों में अपडेट करवाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को पत्र द्वारा सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव
दिनांक :- 05/12/18

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/ बजट घोषणा/18/84-305-369
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वा0 शासन विभाग राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि संबंधित नगर निकायों से सड़क निर्माण/पुनरुद्धार के चारों प्रपत्रों में रिपोर्ट अपडेट करवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. अधीक्षण अभियन्ता/अधिकाधी अभियन्ता संबंधित को भेजकर लेख है कि संबंधित नगर निकायों से सड़क निर्माण/पुनरुद्धार के चारों प्रपत्रों में रिपोर्ट अपडेट करवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ईमेल करने हेतु।
6. सुरक्षित पत्रावली।

मुख्य अभियन्ता